षोडश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-26.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० श्री राम विचार राय, स०वि०स० श्री मो० नेमतुल्लाह, स०वि०स० श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० श्री महबूब आलम, स०वि०स० डॉ० रामानुज प्रसाद, स०वि०स० श्री अब्दुस सुबहान, स०वि०स० श्री मुनेश्वर चौधरी, स०वि०स० डॉ० अब्दुल गफूर, स०वि०स०	बिहार पंचायत अधिनियम 1993 के संकल्प संख्या-1145, दिनांक-12.12.2000 के तहत कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को प्रत्येक वर्ष नवम्बर तथा दिसम्बर माह में स्थापना की बैठक कर प्रोन्नति देने का प्रावधान किया गया था लेकिन स्थापना की बैठक केवल वर्ष-2009 में ही की गयी है जिसमें कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को प्रोन्नति दिया गया है । वर्ष-2009 के बाद स्थापना की बैठक नहीं होने से दर्जनों से अधिक कनीय/सहायक अभियंता प्रोन्नति के लाभ से वंचित रह गये हैं । अतएव उक्त अधिनियम के तहत कनीय/सहायक अभियंताओं को प्रोन्नति का लाभ देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	पंचायती राज

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्रीमती अमिता भूषण, स०वि०स० सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान, स०वि०स० श्री चन्दन कुमार, स०वि०स० श्री शकील अहमद खाँ, स०वि०स० श्री मदन मोहन तिवारी, स०वि०स० श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी, स०वि०स०	मानसून आते ही ठनका गिरने से लोगों के मरने की घटनाएं भी लगातार घटती रहती हैं । वर्ष 2016 में 80 से अधिक लोगों की ठनका गिरने से मौत हुई थी । 2017 और 2018 में मौतों की संख्या में कुछ कमी आयी जबकि वर्ष 2019 में अभी तक 65 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिनके परिवार को मुआवजा देने में 2.40 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं । ठनका का गिरना अभी भी जारी है । ठनका का पूर्वानुमान अर्थ नेटवर्क से किया जा सकता है । आंध्रप्रदेश में अर्थ नेटवर्क से करार कर ''वज्रपात एप'' लाया गया है जो आधा घंटा पहले ही ठनका कहां गिरने वाला है इसकी सूचना दे देता है और दिशा भी बतलाता है । महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रबंधन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट के साथ इस तरह का करार किया गया है । बिहार में भी वर्ष 2016 में इसपर काम प्रारंभ हुआ था लेकिन अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है जिससे ठनका से होनेवाली मौत बदस्तूर जारी है । अत: ठनका से होनेवाली मौतों से बचाव के लिए आंध्रप्रदेश एवं महाराष्ट्र की तर्ज पर तत्काल कदम उठाये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।	आपदा प्रबंधन

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-27/19- 923 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / पंचायती राज विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25.7.19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-27/19- 923 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

25.7.19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

25.7.19